न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः डॉ.सूरज सिंह नेगी, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या –198/2015
नूरखां बनाम भोलेखां आदि

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं 151 सिविल प्रकिया संहिता

दिनांक :...8/5/17...

संक्षेप में वाद पत्र का सार इस प्रकार से है कि आराजी ख.न. 292, 375, 377, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 475 किता–11 रकबा 73 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम शकूरपुरा तहसील टोंक मे स्थित हैं। उक्त आराज के खातेदार मसूद, हमीद व छोटे खां पिसरान मेहमूद खां थे। ये तीनो उक्त भूमि के बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार थे तथा प्रत्येक का 1/3 , 1/3 हिस्सा था। खातेदार मसूद पुत्र मेहमूद लाऔलाद मर चुका है इसलिए उसके हिस्से की खातेदारी हमीद व छोटे खां के स्वतः ही चली गई। अब मौके पर दोनो 1/2 , 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 1 हमीद खां के पुत्र है जिसको हमीद खां के नाम दर्ज हिस्सा 1/3 मे अन्य वारिसान के साथ हिस्सा मिल चुका है। परन्तु प्रतिवादी सं0 1 ने बिना किसी कानून के नाजायज रूप से अपने आपको मृतक मसूद खां का वारिस बताकर राजस्व कर्मचारियो से मिलकर मसूद खां के 1/3 हिस्से की भूमि का विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम भोले खां पुत्र मसूद खां के रूप मे खुलवा लिया तथा जमाबंदी मे अपने नाम 1/3 हिस्सा दर्ज करवा लिया जो प्रथम दृष्टया गलत व अवैध है। मेहमूद खां के परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः–

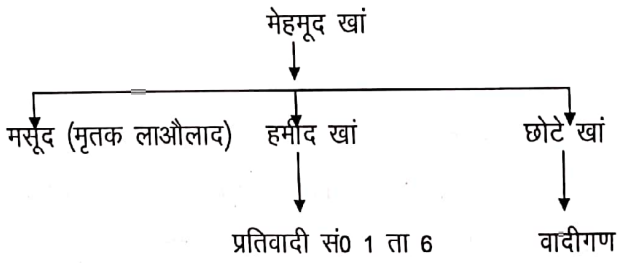

वादीगण उक्त सजरे के अनुसार विवादित भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है और उक्तानुसार ही मौके पर कब्जा है। उक्त भूमि का अभी तक विधिवत विभाजन नही हुआ है। अतः प्रतिवादी सं0 1 के नाम जो जमाबंदी मे 1/3 हिस्सा प्रथक से भोलेखा पुत्र मसूद खां दर्शाया गया है उसे हटाया जावे। खाता दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 मे से प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी नं0 3 ता 6 ने जमाबंदी मे दर्ज अपना हिस्सा दिनांक 7.9.2015 को जरिये हक त्याग पत्र प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष मे अंतरण कर दिया

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

जिसमे प्रतिवादी सं0 1 के पिता का नाम हमीद खां व जमाबंदी मे भी उसके पिता का नाम हमीद खां अंकित है। वर्तमान मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम जो राजस्व रिकार्ड मे त्रुटिपूर्ण 1/3 हिस्सा दर्ज है जो अवैध है और उक्त अवैध अंकन के आधार पर भूमि को खुर्द बुर्द , रहन दान बेचान करने पर आमादा है वादीगण के 1/2 हिस्से मे हस्ताक्षेप करने तथा वादीगण को बेदखल करने पर अमादा है। अतः वादीगण को उक्त विवादित भूमि मे 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह उक्त विवादित भूमि मे वादीगण के 1/2 हिस्से व कब्जेकास्त मे हस्तक्षेप नही करे, तथा भूमि के किसी भी भू–भाग को अन्य के हक मे रहन दान बेचान आदि नही करे।

वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत की गई जिसमे अंकितानुसार वादीगण द्वारा भूमि ख.न. 292, 375, 377, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 475 कुल किता–11, कुल रकबा 73 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम शकूरपुरा तहसील टोंक के संबधं मे वाद पेश किया है। वादीगण द्वारा उक्त भूमि के संबधं मे पूर्व मे भी एक वाद सं0 45/2003 बाबत उदघोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 3.3.2009 को मेरिट पर खारिज किया गया था। उक्त निर्णय को छिपाते हुए वादीगण द्वारा पुनः उन्ही पक्षकारो के मध्य वाद पेश किया गया है। जबकि वादीगण को पुनः उदघोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करने का अधिकार नही था। वादीगण ने जानबूझ कर पूर्व निर्णय को छिपाते हुए शपथ पत्र पेश किया है जो धारा 11 दीवानी प्रकिया संहिता की परिभाषा मे आता है। उक्त धारा के अनुसार समान पक्षकारान के मध्य सक्षम न्यायालय द्वारा किसी विषय वस्तु पर निर्णय पारित कर दिये जाने के उपरान्त उसी विषय वस्तु पर उन्ही पक्षकारो को नया वाद लाने का अधिकार नही है। उसके उपरान्त भी पूर्व पारित डिक्री को छिपाते हुए वादीगण द्वारा वाद पेश किया गया है जो खारिज योग्य है।

प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के साथ पूर्व निर्णय की प्रति एवं जमाबंदी संवत 2065–68 ग्राम शकूरपुरा , हकत्याग पत्र आदि संलग्न किये।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नकल अप्रार्थी वादीगण को दिलवाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण वादीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

इसके पश्चात उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। उभय पक्ष ने अपने–अपने तथ्यों का दोहराते हुए बहस की।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत वाद सं0 45/03 के निर्णय दिनांक 3.3.2009 मे अंकित विवादित भूमि समान है तथा वाद पत्र के पक्षकार भी

खण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

लगभग लगभग समान ही है मात्र प्रथम वादी को द्वितीय वादी तथा प्रथम प्रतिवादी को द्वितीय प्रतिवादी अंकित किया गया है। पूर्व निर्णय में अंकित शजरा भी प्रस्तुत वाद पत्र के सजरे के समान ही है। विवादित भूमि का पूर्व वाद पत्र मे अंकित भूमि के समान होने की पुष्टि होती है। वाद पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध मे इस न्यायालय मे विचाराधीन पूर्व प्रकरण के निर्णय मे तनकीवार विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। पूर्व प्रकरण मे कायम तनकीयो के अनुसार वाद पत्र के तथ्य साक्ष्य दस्तावेजो से साबित नही होने के कारण वाद खारिज किया गया है। यदि वादीगण को उक्त निर्णय के संबंध मे उर्ज था तो वादीगण को तत्समय ही उक्त निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय मे अपील दायर कर राहत प्राप्त करनी चाहिए थी। अब लगभग 14 वर्ष पश्चात पुनः उन्ही तथ्यों एवं अधियाचना के संबंध मे वाद चलाये जाने का कोई औचित्य नही है। न्यायालय मे इस प्रकार के प्रकरणो चलाया जाना मात्र न्यायालय के महत्वपूर्ण समय की बर्बादी के सिवाय कुछ भी नही है। यदि इस प्रकारणो को न्यायालय द्वारा ग्रहण किया गया तो अन्य याचिकाकर्ताओं को न्याय मिलने मे देरी होने की पूर्ण संभावना है जो न्याय हनन की श्रेणी मे आता है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर, उक्त प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर ड्रॉप किये जाने योग्य है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण प्रतिवादीगण धारा 11 एवं धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता, न्याय हित मे स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं अधियाचना के संबंध मे न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे विस्तृत तनकीवार निर्णय किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत वाद चलने योग्य नही होने के कारण , वादीगण का वाद रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त के आधार पर इसी स्तर पर ड्रॉप (खारिज) किया जाता है। प्रार्थनापत्र एवं वाद पत्र निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/5/17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ.सूरज सिंह नेगी)
उपखण्ड अधिकारी,
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner